(1)

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2). उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-सा-3-243(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में विकल्प दिये जाने हेतु प्रारूप ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त निर्धारित प्रारूप पर संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम
2. वर्तमान पदनाम
3. वेतनमान
4. वर्तमान विभाग का नाम
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम
6. विज्ञप्ति की तिथि
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि
8. योगदान की तिथि
9. जन्म तिथि
10. सेवानिवृत्ति की तिथि

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना ( )/नवीन पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम................................

घोषणा पत्र

मैं...पदनाम..यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम................................

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती..पदनाम..को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ( ) /नई पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

No. 28/30/2004-P&PW (B)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension
Department of Pension and Pensioners' Welfare

(3)

Lok Nayak Bhavan, Khan Market
New Delhi, Dated the 11th June, 2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Mobility of personnel amongst Central /State & Autonomous Bodies while working under Pensionable establishments – regarding.

The undersigned is directed to say that the New Pension Scheme (now called as National Pension System) was introduced vide Department of Economic Affairs' notification No.5/7/2003-ECB.PR dated 22.12.2003. It was provided that NPS would be mandatory for all new recruits to the Central Government service from 1st of January 2004 except the Armed Forces.

2. In this Department's O.M. of even number dated 26.7.2005, it was provided that all employees who joined Central Government service or in the service of an autonomous body set up by the Central Government before 1.1.2004 and who were governed by old pension scheme under the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 will continue to be governed by the same pension scheme / rules and will count their past service if they take up new appointment in another Ministry / Department of the Central Government or a Central Autonomous Body covered by the CCS (Pension) Rules on or after 1.1.2004, subject to their satisfying the conditions laid down in Para 4 of DP&AR's O.M. No.28/10/1984-PU dated 29.8.1984.

3. Subsequently, vide this Department's O.M. of even number dated 28.10.2009, the benefit of counting of past service under the CCS(Pension) Rules, 1972 was extended to those employees who were initially appointed before 1.1.2004 in (i) Central Government Departments covered under Railway Pension Rules or other similar non-contributing pensionable establishments of Central Government covered by old Pension Scheme /rules other than CCS(Pension) Rules, 1972 OR, (ii) State Government covered under old pension scheme similar to CCS(Pension) Rules, OR (iii) Central / State Autonomous Body covered by the old pension scheme and who resigned to join a Central Government Department / Office or a Central Autonomous Body having pensionable establishment.

4. Representations have been received in this Department from employees who joined under NPS in Central Government / Central Autonomous Bodies after 1.1.2004 but before 28.10.2009, after technical resignation from a pensionable establishment of a Central Government Department, State Government or Central / State Autonomous Body and who were denied the benefit of counting of past service in the old pension scheme in the Central Government.

Contd..2/-.

5. The matter has been examined in consultation with Department of Personnel and Training and Department of Expenditure. It has been decided that those employees who joined Central Government / Central Autonomous body under NPS during 1.1.2004 to 28.10.2009 after submitting technical resignation from Central Govt. / Central Autonomous Body or a State Government / State Autonomous Body and who fulfill the conditions for counting of past service in terms of this Department's O.M. dated 28.10.2009. may be given an option for induction in old pension scheme and to get their past service rendered in the Central / State Government or Central / State Autonomous Body counted for the purpose of pensionary benefits on their final retirement from the Central Government / Central Autonomous Body, subject to fulfillment of all other conditions of counting of such past service in terms of DPAR's O.M. dated 29.8.1984 read with this Department's O.M. dated 7.2.1986 as amended from time to time.

6. Such option may be exercised within 3 months of issue of this O.M. Such employees who are appointed under NPS during 1.1.2004 to 28.10.2009 and are eligible to exercise option in terms of para 5 above but do not exercise the option within the stipulated period will continue to be covered by the provisions of National Pension System. Those employees who joined during 1.1.2004 to 28.10.2009 and have already been given the benefit of CCS(Pension) Rules in terms of O.M. dated 28.10.2009, will continue to be governed by those rules.

7. Those employees who exercise option for counting of past service in accordance with the above provisions may be allowed to avail the benefit under CCS (Pension) Rules, 1972. The capitalized value of pension and gratuity for the past service in the Central / State Autonomous Body will be deposited by that Body to the Central Government / Central Autonomous Body in accordance with the instructions contained in the O.M. No. 28/10/84-Pension Unit dated 29.8.1984. In case the employee concerned has received the pensionary benefits from the Central Government Departments, State Government, Central / State Autonomous Body, etc., he would be required to deposit the amount of such pensionary benefits (along with interest to be calculated in accordance with this Department's O.M. No. 38/34/2001-P&PW(F) dated 29-07-2002) with the Central Government Department /Central Autonomous Body in which he has joined, to enable counting of past service. The employee's share in the accumulated wealth of National Pension System with interest / returns accrued thereon under the NPS, would be deposited in the GPF account of the employee. The employer's share along with interest / returns accrued thereon under the NPS would be deposited in the account of Central Government / Central Autonomous Body in accordance with modalities provided in para 9 of this OM.

8. In some cases, due to non-availability of benefit of counting of past services under the old pension system during 01.01.2004 to 28.10.2009, the employees of State Government/ State Autonomous bodies etc. may have been compelled to take voluntary retirement before joining pensionable Central Government Department/ Central Autonomous bodies after 01.01.2004 but before 28.10.2009. It has been decided that 'voluntary retirement' of such employees may be treated as 'technical resignation' and the benefit of provisions of para 5 to para 7 above may also be extended to them subject to fulfillment of all other conditions for counting of service.

Contd..3-.

8.1 The forwarding the application through proper channel for the post they had joined after getting voluntary retirement is a pre- requisite for considering it as technical resignation.

8.2 The provisions of this O.M. is mandatory in all such cases.

9. The modalities of accounting of the NPS accumulation would be as under:

S. No.	Issues	Adjustment process
1	Adjustment of employee's contribution to NPS	Amount may be credited to the individual's GPF account and the account may be recasted permitting up to date interest. (FR 16 & Rule 11 of GPF Rules)
2	Adjustment of Government contribution to NPS	To be accounted for as (-) Debit to Object Head "70- Deduct Recoveries" under Major Head " 2071- Pensio and other Retirement Benefits" and Minor Head " 911 – Deduct Recoveries of overpayments" (GAR 35 and Para 3.10 of LMMH and Para 5.1.3 (iii) of Civil Accounts Manual refers)
3	Adjustment of increased value of subscription in NPS on account of appreciation of investment	May be accounted for by crediting the amount to Government Account under Major Head "0071- Contribution & Recoveries towards Pension & other Retirement Benefits" and Minor Head "800-Other- Receipts" (Note under above Major Head in LMMH)

10. All Ministries / Departments are requested to bring the contents of these orders to the notice of Controller of Accounts/Pay and Accounts Officers and Attached, Subordinate Offices and Autonomous bodies under them.

11. This issues in consultation with of Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure vide ID Note No. 25(6)/EV/2017 Dated 06.01.2020 and in consultation with Controller General of Accounts vide their I.D. Note No. 1(7)(2)/2010/c/a/TA/860 dated 18.08.2017.

12. In their application to the employees of Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued after consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution.

13. Hindi version will follow.

(Ruchir Mittal)
Deputy Secretary to the Government of India

To,

1. All Central Government Ministries / Departments.
2. Chief Secretaries of all State Governments/UTs.
3. Accountant Generals in the States and UTs.
4. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
5. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi.
7. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
8. CGA, Department of Expenditure, INA, New Delhi.
9. AD(OL) for Hindi version.
10. NIC for posting on the website of this Department.

संख्याः-17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/89 (4)

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त,
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30अप्रैल, 2019

विषयः सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये सेवाओं का जोड़ा जाना ।

महोदय

राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग में कार्यरत किसी सरकारी सेवक द्वारा, संबंधित विभाग में नियुक्त होने के पूर्व अन्यत्र की गयी पेशनेबल सेवाओं को उसकी वर्तमान/अंतिम सेवा के साथ पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग को संदर्भित किये जाते है। इन प्रस्तावो में प्रायः कतिपय आवश्यक सूचनायें एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होता है।

2- अतः समस्त प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ सेवाओं को जोडे जाने के प्रस्ताव इस शासनादेश के साथ संलग्न

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित कि जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र में उल्लिखित विवरणों को पत्रावली की नोटिंग साईड पर अंकित करते हुए पत्रावली वित्त विभाग को संदर्भित की जाये ।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:17/2019/सा-3-346(1)/दस-2019-933/89तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 ।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उ0प्र0 ।
3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित कि जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्याः 17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/89 दिनांकः30 अप्रैल,का संलग्नक

1- वर्तमान सेवा का विवरण	
(1) कर्मचारी का नाम	
(2) पदनाम एवं वेतनमान	
(3) कार्यालय/ विभाग	
(4) जन्म तिथि	
(5) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	
(6) नियुक्ति प्राधिकारी	
(7) नियुक्ति पत्र की संख्या एवं दिनांक	
(8) अधिवर्षता की तिथि	
2- पूर्व सेवा का विवरण	
(9) कर्मचारी का नाम	
(10) पदनाम एवं वेतनमान	
(11) कार्यालय / विभाग का नाम	
(12) नियुक्ति प्राधिकारी	
(13) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	
(14) कार्यभार छोड़ने की तिथि	
(15) क्या पूर्व की सेवायें पेंशनेबल थी	
(16) क्या पूर्व में तदर्थ/कार्यप्रभारित/संविदा/सीज़नल/ नियत वेतन पर सेवा की गयी? यदि हां,तो विवरण दिया जायें। (विनियमितीकरण आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जाये)	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

(17) क्या पूर्व सेवाओं में अवैतनिक अवकाश लिया गया था? यदि हां,तो विवरण दिया जाये।	
(18) क्या दो सेवाओं के मध्य व्यवधान रहा है? यदि हां,तो -	
(I)व्यवधानों की अवधि तिथि सहित ।	
(II)व्यवधान का कारण	
(III)क्या व्यवधान का मर्षण प्रस्तावित है?	
(19) क्या पूर्व सेवा में ब्रेक-इन-सर्विस रही है? यदि हां,तो तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये।	
(20) क्या दण्ड स्वरूप किसी सेवा अवधि को ड्यूटी पर नहीं माना गया है? यदि हां,तो अवधि इंगित की जाये तथा तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये।	
(21) सत्यापित सेवा पुस्तिका संलग्न की जाये	
3- विभाग की संस्तुति	

हस्ताक्षर :-------------- --------------- -------------

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित कि जा सकती है

सेवा जोड़े जाने विषयक संगत नियम एवं शासनादेशों की संदर्भ सूची -

1-	उ0प्र0 सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद -	
(1)	अनुच्छेद -361	अर्हकारी सेवा की शर्तें
(2)	अनुच्छेद -368	अर्हकारी सेवा हेतु मौलिक नियुक्ति की अनिवार्यता
(3)	अनुच्छेद -370	कार्यप्रभारित अधिष्ठानए कन्टिन्जेन्सी से भुगतानित सेवाओं एवं नॉन पेंशनेबल अधिष्ठान की सेवाओं को अर्हकारी सेवाओं में न जोड़ा जाना
(4)	अनुच्छेद -422	सेवाओं में व्यवधानों का मर्षण
2-	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	
(1)	सा-3-1152/दस-915-89 दिनांक 01.07.1989	अस्थायी सेवा को अर्हकारी सेवा के रूप में आगणित किया जाना
(2)	सा-3-1713/दस-87-933/89 दिनांक 28.07.1989	सामान्य दिशा निर्देश
(3)	सा-3-728/दस-98-901-98 दिनांक 10.07.1998	राज्य सरकार की सेवा से स्वायत्त निकाय की सेवा में संविलीन होने वाले कार्मिकों अथवा स्वायत्त निकाय से राज्य सरकार की सेवा में संविलीन होने वाले कार्मिकों के प्रकरण
(4)	सा-3-1984/दस-2001-901-98 दिनांक 28.12.2001	सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों की सेवाओं को राजकीय सेवाओं के साथ न जोड़ा जाना ।
(5)	सा-3-950/दस-2006-901/98 दिनांक 20.07.2006	राज्य सरकार से सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में की गयी सेवा को राजकीय सेवा के साथ जोड़ा जाना ।

1- यह आदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित कि जा सकती है

(5)

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-16/2019/सा-3-322/दस-2019-301(8)/2015

लखनऊ 16 अप्रैल 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अंगीकृत सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1-(1)	यह विनियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (संशोधन) विनियमावली, 2019 कही जायेगी।
	(2)	यह अधिसूचना संख्या; सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 के निर्गत होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
अनुच्छेद 350 में नये परन्तुक का बढ़ाया जाना	2-	उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स में, अनुच्छेद 350 के विद्यमान परन्तुक के नीचे निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाये-

" Provided further that the provisions of this Article shall apply to the government servants who have joined service before April 01, 2005. The government servants who join service on or after April 01, 2005 shall be governed by the new defined contribution pension system notified by the State Government vide notification No. G-3-379/X-2005-301(9)-2003 dated March 28, 2005 with all subsequent amendments"

आज्ञा से,

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

6

6

संख्या–सा–3– 1118 / दस–2011–301(09)/2003टी.सी.

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक 16 सितम्बर, 2011

विषय– अधिसूचना संख्या–सा–3–379/दस–2005–301(9)/2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–सा–3–379/ दस 2005 –301(9)/ 2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार के अधीन एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त–पोषित शिक्षण संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनमें उक्त तिथि के पूर्व राज्य सरकार के पेंशनरों की भांति पेंशन योजना लागू थी, में नव नियुक्त कर्मचारियों को नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है।

2– शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण लाये गये हैं, जिनमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त नये कार्मिक पूर्व में केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके द्वारा वित्त–पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवारत थे। इन मामलों में यह जिज्ञासायें की जा रही हैं, कि पूर्व सेवा में नियुक्ति की तिथि तथा राज्य सरकार में नियुक्ति की तिथि के आधार पर भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में ऐसे कर्मचारियों को किस पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित प्रकरणों [illegible] अधोलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाय–

(1) केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारों जिनके कर्मचारियों की [illegible] अर्हकारी सेवाएं, सेवा निवृत्तिक लाभों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के [illegible] अर्हकारी सेवाओं के साथ जोड़े जाने का पारस्परिक समझौता [illegible] केन्द्र सरकार/ संबंधित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना [illegible] थे तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी [illegible] दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त [illegible] दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व प्रभावी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित [illegible]

जायेंगे। केन्द्र सरकार की अनुदानित संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें केन्द्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना के समान पेंशन योजना लागू रही हो, के कार्मिक जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्त होते हैं, भी इस व्यवस्था से आच्छादित होंगे।

(2) यदि केन्द्र सरकार/उपर्युसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कर्मचारी पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी0एफ0आर0डी0ए0) की नई पेंशन संरचना के अधीन कार्यरत था, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त कार्यभार ग्रहण करता है, तो वह नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

(3) यदि केन्द्र सरकार/ पूर्वसंदर्भित राज्य सरकारों के अधीन कोई कार्मिक नई पेंशन योजना से आच्छादित था तथा उत्तर प्रदेश के अधीन नई पेंशन योजना के लागू होने की तिथि 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व कार्यभार ग्रहण करता है, तो उसे दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व उत्तर प्रदेश में लागू पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा तथा उसके पास यह विकल्प होगा कि वह नई पेंशन योजना से निकासी कर ले।

(4) अन्य राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत रहे कर्मचारी चाहे पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित रहे हो अथवा नई पेंशन योजना से, यदि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक–01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त होते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित माना जायेगा।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव वित्त।

संख्या–सा–3–1118(1)/दस–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4– महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
8- समस्त जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
9- जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
10-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस आशय से कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी पाँच हजार प्रतियां शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

(7)

संख्या-सा-3-1671 / दस-2010-301(09) / 2003 टी0सी0

3302/15-3-10

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

(सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनाँक : 16 सितम्बर, 2010

विषय :- अधिसूचना संख्या-सा-3-379 / दस-2005-301(9) / 2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379 / दस-2005-
301(9) / 2003, दिनाँक 28 मार्च, 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के
नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य
कर्मचारियों की भाँति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि
से किया जाता है, दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 से नये प्रवेशकों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना
लागू की गयी है। राज्य सरकार की सेवा में और ऊपर उल्लिखित संस्थाओं में दिनाँक 01 अप्रैल,
2005 को अथवा उसके पश्चात् प्रवेश करने वाले कर्मियों पर नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना
अनिवार्य रूप से लागू है।

2- वित्त विभाग में इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण प्रदान किये जाने संबंधी संदर्भ प्राप्त होते रहे
हैं कि ऐसे कर्मचारी जो राज्य सरकार की किसी पेंशनयुक्त सेवा में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व
नियुक्त हो चुके थे तथा दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार के अधीन
किसी अन्य सेवा / सवर्ग में पेंशनयुक्त पद पर नियुक्त होते हैं, तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना, जो
दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व लागू थी, से आच्छादित माना जायेगा अथवा नई पेंशन योजना से।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त
यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने राज्य सरकार की अथवा ऐसे समस्त
शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओ और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ जिनमे
राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य
सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की पेंशनयुक्त सेवा में दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व
योगदान किया था तथा दिनाँक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात् राज्य सरकार की अथवा
शासन के नियंत्रणाधीन उक्त उल्लिखित स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं की पेंशनयुक्त सेवा में अपनी पूर्व सेवा से कार्यमुक्त होकर अथवा तकनीकी त्याग-पत्र देकर
नियुक्त होते हैं, तो वे उसी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे जिस पेंशन योजना से वे दिनाँक
01 अप्रैल, 2005 के पूर्व आच्छादित थे।

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

--2/--

20/09/2010

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

संख्या : सा–3–1671(1)/दस–2010–301(09)/2003 टी०सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
3– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।
4– महानिबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6– निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
7– निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र० लखनऊ।
8– समस्त जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9– जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
10– सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
12– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी दस हजार प्रतियाँ शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

(8)

THE UTTAR PRADESH GAZETTE

Extraordinary

Published By Authority

अधिसूचना सं.-सा-3-379/दस-2005-301(1)-2003 दि. 28 मार्च 2005

Lucknow, Monday , 28th March, 2005

NOTIFICATION BY GOVERNMENT

----- x -----

FINANCE DEPARTMENT

The State Government, in consideration of its long term fiscal interest and following broadly the pattern adopted by the Central Government, has approved the following proposal of introducing a new defined contribution pension system in place of the existing defined benefit pension scheme, for new entrants to the service of the State Government and of all State controlled autonomous institutions and State - aided private educational institutions where the existing pension scheme is patterned on the scheme for Government employees and is funded by the consolidated fund of the State Government:-

(i) From 1st of April, 2005, the new defined contribution pension system would mandatorily apply to all new recruits to the service of the State Government and of all State controlled autonomous / State aided private educational institutions referred to above. However, employees covered by the existing pension scheme whose service would be of less than ten years on 1st April, 2005 may also voluntarily opt for the new pension system in place of the existing pension scheme.

(ii) Under the new defined contribution pension system, the employee would make a monthly contribution equal to 10 percent of the salary and dearness allowance. A matching employer's contribution would be made by the State Government or by the concerned autonomous institution / private educational institution. However, the State Government would provide grant to the concerned autonomous institution private educational institution for making employer's contribution until the institutions is at a position to make the contribution itself. The contribution and investment returns would be deposited in an account to be known as pension tier I account. No withdrawals would be allowed from this account during the service period. The existing provisions of defined benefit pension and GPF would not be available to the new recruits covered by the new defined contribution pension system.

(iii) Since new recruits would not be able to subscribe to GPF, they may also have a voluntary tier II account, in adition to the pension tier I account. However, employer would not make contribution to tier II account. The assets in Tier II account would be invested / managed through exactly the same procedure as for pension tier I account. However, the employee would be free to withdraw part of all the ' second tier ' of his money anytime.

(iv) Employee can normally exit tier I of the pension system at the time of retirement. At

exit the employee would be mandatorily required to invest 40 percent of pension wealth to purchase an annuity from a recognized insurance company so as to provide for pension for the lifetime of the employee and his dependent parents and his spouse at the time of retirement. The remaining pension wealth would, however, be received by the employee as a lump sum which he would be free to utilise in any manner. In case of employee exiting the pension tier I before retirement, the mandatory annuitisation would be 80 percent of the pension wealth.

(v) There would be several pension fund managers who would offer mainly three categories of investment options. The pension fund managers and the record keeper would jointly give out easily understood information about past performance so that the employee is able to make informed choices of the investment options.

2. The effective date for operationalization of the new pension system shall be 1st of April, 2005.

संख्या-सा-3-1984/दस-2001-901-98

(9)

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ, दिनांक 28 दिसम्बर, 2001

विषय :– राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन मांगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-728/दस-901-98, दिनांक 10-7-1998 के प्रथम प्रस्तर में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है, तो जहाँ से वह सेवानिवृत्त होगा वही सरकार उसके सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी। उक्त शासनादेश दिनांक 10-7-98 में यह भी व्यवस्था की गयी है कि केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आये या सीधे सेवा ग्रहण करें, या उन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर सीधी भर्ती से जाये तो उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर नैवृत्तिक लाभ दिये जाए। उपर्युक्त उल्लिखित स्थिति से स्पष्ट है कि शासकीय व्यवस्था "स्वायत्तशासी निकाय" जहां पेंशन व्यवस्था लागू है, में लागू की गयी है। परन्तु उक्त आदेश दिनाक 10-7-1998 में कतिपय स्थानों पर स्वायत्तशासी निकाय के स्थान पर "निगम/उपक्रम" शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था की है कि "उपक्रम/निगम" के कर्मचारियों की सेवा पेंशन हेतु आगणित नहीं की जाएगी। इस सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनाक 10-7-1998 की व्यवस्था "स्वायत्तशासी निकाय" में लागू की जानी है, "उपक्रम/निगम" में नहीं। अतएव शासनादेश में जहाँ-जहाँ "निगम/उपक्रम" शब्द का प्रयोग किया गया है उसे सदैव से विलोपित किया गया समझा जाए और उसके स्थान पर "स्वायत्तशासी निकाय" शब्द स्थापित माना जाए।

2. "स्वायत्तशासी निकाय" का आशय ऐसे निकाय से है जिसका वित्त पोषण पूर्णतः अथवा उसके 50% से अधिक के व्यय की पूर्ति राज्य सरकार के अनुदानों से होती है। स्वायत्तशासी निकाय में राज्य सरकार के समविधिक निकाय सम्मिलित होंगे परन्तु राज्य सरकार की वित्तीय संस्थायें/बैंक शामिल नहीं होंगे। इस शासनादेश की व्यवस्था के अधीन केवल उसी सेवा को जोड़ा जाएगा जो कि सरकार/स्वायत्तशासी निकाय के सगत नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक मानी जाती है।

3. शासनादेश संख्या-सा-3-728/दस-98-901-98, दिनाक 10-7-98 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,
मनजीत सिंह,
सचिव, वित्त।

38

शासकीय पत्र संख्या-यू०ओ०बी०-3-652/दस-2002

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

3 पुनर्योजन की अवधि में पेंशन की धनराशि पर महगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

4 उपरोक्त व्यवस्था लागू होने के उपरान्त जैसी भी स्थिति होगी, उसके अनुसार समायोजन/देयों का भुगतान कर दिया जाएगा।

भवदीय,
आलोक रंजन,
सचिव, वित्त।

(10)

20

संख्या–सा–3–728/दस–98–901–98

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 — लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई, 1998

विषय :– राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्तशासी निकायों में संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन मांगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के प्रयोजन से सेवा का गिना जाना।

Subject :– Counting of service for pension of employees of Central Govt. and Corporations seeking absorption in the autonomous bodies of the State Govt. and vice-versa.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस राज्य सरकार में यह व्यवस्था विद्यमान है कि केन्द्र सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के कार्यालय में जाता है, तो जहां से वह सेवानिवृत्त

होगा वही सरकार उसके नैवृत्तिक लाभों का भुगतान करेगी। काफी समय से यह मांग की जा रही है कि केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए या सीधे सेवा ग्रहण करें या उन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार के स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी भारत सरकार के स्वायत्तशासी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर या सीधी भर्ती से जाये तो उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर नैवृत्तिक लाभ दिये जायें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्तर्गत ही राज्य सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के ऐसे उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है या उन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार के उपक्रम/निगम का कर्मचारी राज्य सरकार में आता है तो प्रश्नगत सुविधा उन्हें उपलब्ध करायी जाये।

2 शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार का कर्मचारी भारत सरकार के उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है और संविलीन हो जाता है या उसी परिस्थिति में भारत सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के उपक्रम/निगम में आता है और संविलीन हो जाता है तो यदि दोनों पद पेंशनेबुल है तो उसके द्वारा दोनों पदों पर की गई अर्ह सेवा के योग पर नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्तर्गत ही राज्य सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के उपक्रम/निगम में स्थानान्तरण/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के आधार पर जाता है या राज्य सरकार में आता है, जहां राज्य सरकार के संबंधित उपक्रम/निगम में पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो एवं संबंधित कर्मचारी का संविलियन सेवानिवृत्त होने वाले उपक्रम/निगम/सरकार में हो गया हो, तो यदि दोनों ही पद पेंशनेबुल हों, तो उसके द्वारा पदों पर की गई अर्ह सेवा पर नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे और दोनों अवधियों को जोड़कर सेवा नैवृत्तिक लाभों का भुगतान उसी संस्थान/सरकार द्वारा किया जायेगा जहां से वह अन्तिम रूप से सेवानिवृत्त हो रहा है। इस प्रकार के मामलों में कर्मचारी पर वही पेंशन नियम लागू होंगे जैसी कि उस सरकार/उपक्रम/निगम में लागू हों—

(1) जब किसी पेंशनयुक्त संगठन में कार्य कर रहे राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को किसी स्वायत्त निकाय में संविलियन की अनुमति दी जाती है तो उसके द्वारा सरकार के अधीन की गयी सेवा को स्वायत्त निकाय के अधीन पेंशन के लिए आगणित कराने की अनुमति होगी चाहे उक्त कर्मचारी सरकार में अस्थायी रहा हो अथवा स्थायी किन्तु पेंशन संबंधी सुविधायें केवल तभी मिलेंगी जबकि अस्थायी सेवा के बाद उनका स्थायीकरण हो गया हो। यदि वह स्वायत्तशासी निकाय में अस्थायी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे सेवान्त प्रसुविधायें उसी प्रकार मिलेंगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन अस्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। स्वायत्त निकायों के जो कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन स्थायी तौर पर संविलीन हो जाते है उनके मामलों में भी यही क्रियाविधि लागू होगी।

स्वायत्त निकाय/सरकार में जैसा भी मामला हो संविलियन की तारीख तक की सेवा के लिए अनुपातिक दरों पर पेंशन/सेवा उपादान/सेवान्त उपादान तथा मृत्यु और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं का भुगतान करके सरकार/स्वायत्त निकाय अपने पेंशन दायित्व को पूरा करेगी। अनुपातिक दरों पर पेंशन की राशि समय-समय पर यथासंशोधित शासनादेशों को ध्यान में रखकर निश्चित की जायेगी।

(2) अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधाओं का हकदार कर्मचारी यह विकल्प देगा कि वह या तो स्वायत्तशासी निकाय से मिलने वाली अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करेगा अथवा उसे राज्य सरकार के राजकोष में जमा करेगा और राज्य सरकार में पेंशन के लिए अर्ह सेवा के रूप में गिने जाने का विकल्प देगा। इसी प्रकार से सरकारी सेवक स्वायत्त निकाय की सेवा में योगदान करने पर शासन के अधीन सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि संबंधित स्वायत्त निकाय को भुगतान कर दी जायेगी। ऐसा विकल्प संविलियन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जा सकेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करने के लिए विकल्प दे

दिए है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

(3) जब किसी स्वायत्तशासी निकाय के किसी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन स्थायी तौर पर संविलीन कर दिया जाता है तो उसके सामने दो विकल्प रहेंगे अर्थात् या तो वह स्वायत्तशासी निकाय द्वारा देय अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त कर ले और सरकार में नये सिरे से नौकरी शुरू करे या अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान और उस पर देय ब्याज सहित, सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार के खाते में जमा कर दे और सरकार के अधीन पेंशन प्रयोजनों हेतु अर्ह सेवा के रूप में जुड़वाने का विकल्प दे दे। यह विकल्प संविलियन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझ लिया जायेगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करने का विकल्प दिया है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

3. राज्य सरकार के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 7 फरवरी, 1986 से प्रभावी माने जायेंगे।

भवदीय,
आलोक रंजन,
सचिव, वित्त।

21

संख्या–सा–3–984/दस–98–308/97

प्रेषक,
श्री आलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 24 जुलाई, 1998

विषय :– वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1720/दस-308/97, दिनांक 23-12-1997 एवं सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक 23-12-1997 के संदर्भ में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1720/दस-308/97, दिनांक 23-12-1997, कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक 23-12-1997, एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1722/ दस-309/97, दिनांक 23-12-97 निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेशों में निहित कतिपय व्यवस्थाओं के संदर्भ में पेंशनर संघों एवं पेंशनरों के [illegible]

CHAPTER XVI—Conditions of Qualifying Service

SECTION I—DEFINITION OF QUALIFYING SERVICE

Beginning of service

358. (a) Except for Compensation gratuity, an officer's service does not in the case of Superior and Inferior services qualify till he has completed twenty years of age.

(b) In other cases, unless it be otherwise provided by special rule of contract the service of every officer begins when he takes charge of the office to which he is first appointed.

Note 1—Not printed.

Note 2—Not printed.

359. The following exceptions are admitted to twenty years rule:—

* * * *

(3) Sub-assistant Surgeons count service from the date they pass their final examination.

NOTE—Pupils of the Civil Hospital Assistant Class in Medical Colleges who were granted leave under Article 52(c) count service from the date on which the leave begins.

360. Deleted.

Conditions of qualifications

361. The service of an officer does not qualify for pension unless it conforms to the following three conditions:—

First—The service must be under Government.

Second—The employment must be substantive and permanent.

Third—The service must be paid by Government.

These three conditions are fully explained in the following Section.

Decisions of the Government of India

(1) The service of a Treasurer of one or more District Treasuries who does not himself do the work of office in any of the Treasuries, but appoints an agent to do it for him, is not pensionable as no claim to pension is admitted when a person's whole-time is not retained for

https://budget.up.nic.in/Fin_H_Book/CSR

public service [Article 352 (c) C.S.R.] but is merely paid for work done for the State.

[Government of India, Finance Department no. 3230, dated the 9th July, 1895]

(2) In cases in which a Divisional Treasurer is a firm consisting of several partners, each of whom does the work of one of the Divisional Treasuries each such partner actually performing the work of a Treasurer at a separate treasury is entitled to pension.

[Government of India, Finance Department no. 895-P, dated the 12th February, 1907]

361-A. The Government of India may, however, in the case of service paid from General Revenues even though either or both of conditions (1) and (2) are not fulfilled:—

(1) declare that any specified kind of service rendered in a non-gazetted capacity shall qualify for pension;

(2) in individual cases and subject to such conditions as it may think fit to impose in each case, allow service rendered by an officer to count for pension.

Subject to such conditions as it may think fit to impose, the State Government may delegate its powers under this Article to the Heads of Departments.

NOTE—Not printed.

Decisions of the Government of India

The Local Government can allow the benefit of Article 368 (now Article 361-A, Civil Service Regulations), irrespective of the provisions of Article 381-B, Civil Service Regulations to an officer whose whole service was temporary whether followed by permanent service or not.

[Government of India, Finance Department no. 895-P, dated 12th February, 1907]

Decisions of the State Government

Treatment of temporary service of men who are enlisted as constables in connection with additional police appointed under section 15 of the Police Act, 1861—The Governor in Council is pleased under Article 361-A of the Civil Service Regulation to declare that the temporary service of men who are enlisted as constables in connection with additional Police appointed under section 15 of the Police Act, 1861, or special temporary reserves and who are subsequently enlisted in the regular police shall count for pension provided the interruptions between temporary service and confirmation in the regular line are condoned under the rules published in government order in notification No. A—5203/10-255 Dated the 10th October 19

No. 1306/VIII—106, Dated the 8th March, 1932 the term "Special temporary reserves" used in G.O. No. 306—VIII—106 Dated March 6, 1932, dose not include the Five Hundred Constables Who were temporarily appointed under G.O. No. 440/VIII-521, dated March 6, 1933, to replace the men deputed to the Hardwar Ardh-Kumbh Mela of 1933. In the case of those 500 constables the Governor in council is pleased, under article 361-A civil service regulations to declare that their temporary service shall count for pension if they are subsequently enlisted in the regular police.

[Vide G.O. no. 2149/VIII—106, dated the 27th November 1933]

2. Counting of temporary service of certain constables for pension—(I) The Governor has been pleased under Article 361-A to declare that the temporary service of men who were enlisted as constables during the year 1939-40 and 1941 in connection with various schemes concerned with War expansion and Political activities such as vulnerable point guards, protection of strategic railways, District Intelligence staff expansion, Criminal Investigation Department expansion, etc. and who are subsequently enlisted in the regular Police shall qualify for pension.

[Police Department G.O. no. 1667/VIII—23241, dated the 29th July, 1941]

3. The temporary service of constables enlisted in connection with the Police arrangements for the Allahabad kumbha Fair of 1942 in accordance with the orders issued in G.O. no. 334-P/VIII, dated the 30th June, 1941, who subsequently joined the regular Police Force, shall count for pension.

Any interruption between the temporary service of the constables mentioned above and their confirmation in permanent posts should be condoned under the rules published with Finance Department, notification no. A—5203/X—255, dated the 10th October, 1930.

4. The Governor has been pleased to declare under Article 361-A, C.S.R. that the temporary service of constables enlisted in the year 1942 and subsequent years until the termination of the war in connection with the various schemes connected with the war, and who are subsequently either absorbed or re-enlisted in the regular police shall qualify for pension.

5. Date from which orders relating to pensionary concessions should take effect—Such cases are of two types:—

(i) Those in which the Head of a Department himself requests Government to Grant a Concession under Article 361-A or 422-A, or 423 or 371, C.S.R. and sanctions the pension after the matter has been settled.

(ii) Those in which retired Government servant makes a request for a concession under one of the above mentioned article after he has actually been granted a pension.

https://budget.up.nic.in/Fin II Book/..

The Governor has decided that the question of giving retrospective effect does not arise in cases falling under class: (i) i. e., it will automatically be allowed to him as the pension is sanctioned after the grant of concession. In the cases falling under class (ii) retrospective effect should not be given to orders if a concession is granted. But if benefit of doubt is given because Government have failed to keep the necessary papers to prove whether the Pensioner's contention is right or wrong or the Pensioner is given what was his right but which was not sanctioned in the first instance for some reasons or other, then the order should be given retrospective effect. In the orders granting a pensionary benefit the date of effect should invariably be mentioned.

[U.P. Finance (M) Department, notification no. M-253/X-612-43, dated the 9th February, 1945]

6. The Governor in Council is pleased to declare under Article 361-A, Civil Service Regulations, that service rendered in the Auxiliary Police Force should count for pension in the case of men who are accepted for transfer to the Regular Police Force. This sanction, so far as pension is concerned should be restricted to cases in which the pension does not exceed Rs. 5 per mensem, vide Note (a) to Article 361-A, Civil Service Regulation.

7. The continuous service in the mobilized Civil Guards shall count for pension in the case of any member who has enlisted or who may hereafter enlist the U.P. Police.

8. The Governor has been pleased to declare, under Article 361-A, Civil Service Regulations that the temporary service of passed cadets of 1944 and subsequent sessions of the Police Training College until the termination of the war rendered in vacancies in connection with war schemes shall qualify for pension.

9. Substantive service in a permanent post qualifies for pension unless the service in a particular permanent post is specifically declared as non-qualifying under Article 350, C.S.R. When a temporary post is made permanent or a permanent post is sanctioned, it is not necessary to state that the post in question would also be pensionable under Article 361 C.S.R.

[P.H. Department G.O. no. 3391/XVI—901-1948 dated the 24th February, 1950]

361-B. Not printed.

Section II—FIRST CONDITION

362. The service of an officer does not qualify unless he is appointed and his dues and pay are regulated by the Government, or under conditions determined by the Government. The following are examples of officers excluded from persion by this Article :

(1) ******

https://budget.up.nic.in/Fin_H_Book/CSR/04 h

(2) Officers of a Municipality ;

(3) Officers of Grant-in-aid Schools and Institutions (e.g., the Asiatic society and Canning College at Lucknow);

(4) Subordinates appointed by treasurors on their own responsibility, e.g., Tahsildars in the Province of Agra...................

363. Not printed.

364. Not printed.

Service paid from contract allowances

365. Service on an establishment paid from a Contract Establishment Allowance, with the detailed distribution of which the Government does not interfere, does not qualify, whether such contract allowance is a fixed amount or consists of fees.

Exception—Service of whole-time regular servants paid from contingencies up to March 31, 1947, who were in service on that date, shall qualify from the following date.

"366. An Officer retiring on or after April 1, 1962 shall count his service, including continuous temporary or officiating service on establishment paid from the House-hold Allowance of the Governor, only if such temporary or officiating service is followed without interruption by confirmation in any pensionable post.

NOTE—If service rendered in a work charged or non-pensionable establishment or in a post paid from contingencies falls between two periods of temporary service on establishment paid from the House hold Allowance of the Governor or between periods of temporary service and permanent service which qualifies for pension, it will not constitute an interuption of service."

(The amendment takes effect from April 1, 1962).

Service under an employer other than Government

367. In the following cases Service under an employer to whose position Government has succeeded qualifies :

(a) Service rendered to an Indian State and continued to the British Government on the lapse are annexation of the State, when old age are infirmity renders the officer a fit object for pension.

(b) Not printed.

Section III—SECOND CONDITION

General principles

368. Service does not qualify unless the officer holds a substantive office on a permanent establishment.

369. An establishment the duties of which are not continuous but are limited to certain fixed periods in each year, is not a temporary establishment. Service in such an establishment, including the period during which the establishment is not employed, qualifies, but the concession of counting as service the period during which the establishment is not employed does not apply to an officer who was not on actual duty when the establishment was discharged, after completion of its work, or to an officer who was not on actual duty on the first day on which the establishment was again re-employed.

370. Continuous temporary or officiating service under the Government of Uttar Pradesh followed without interruption by confirmation in the same or any other post shall qualify except

(i) periods of temporary or officiating service in non-pensionable establishment;

(ii) periods of service in work-charged establishment; and

(iii) periods of service in a post paid form contingencies.

(The amendment takes effect from April 20, 1977)

NOTE—If service rendered in a non-pensionable establishment, work-charged establishment or in a post paid from contingencies, falls between two periods of temporary service in a pensionable establishment or between periods of temporary service and permanent service in a pensionable establishment, it will not constitute an interruption of service.

*370-A Deleted.

*371. Deleted.

Apprentices and probationers

372. Service as an apprentice does not qualify, except in the following cases:—

Engineer or Examiner Apprentices.	In the Public Works Department.
Qualified students of the Thomason College under practical training who passed out prior to the year 1924.	

* * *   * * *   * * *

373. The service of a probationer who holds a substantive office and draws substantive pay qualifies. So does that of an officer who is on probation for a substantive office if he is employed in a vacancy reserved for him pending probation, and in which no other officer

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD